प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मण्डल वाराणसी

सेवा में,

सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद शिक्षा केन्द्र—2 समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार, नई दिल्ली।

/2023-24 दिनांकः २५ | ०५ | २०९३

पत्रांकः- एन०ओ०सी० / / 2023-24 विनाकः - १ विषयः-सेंट जेवियर्स स्कूल नेविद्या जौनपुर को सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपयुर्वत विषयक शासनादेश संख्या—1916/15—7—09—1 (299)/2007 शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ दिनांकः 14 जुलाई 2009 एवं शासनादेश संख्या—2144/15—07—2020—1 (34)/2020 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—07 लखनऊ दिनांकः 07.01.2021 के कम में सेंट जेवियर्स स्कूल नेविद्धा जौनपुर को सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापित प्रमाण पत्र दिये जाने में सम्बन्ध में आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी की अध्यक्षता में एतदर्थ गठित समिति की बैठक दिनांकः 17.01.2023 में लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपित्त नहीं है :—

- 1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ०प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली / कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
- 5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।
- 6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

- 7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका
- 8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9. उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा, और किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापित्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

डॉ०(प्रदीप कुमार) संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मण्डल वाराणसी

पृ०सं0:-एन०ओ०सी० / ५ 5 3 - ७० / 2023-24 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।

2. जिलाधिकारी जौनपुर।

3. शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० लखनऊ।

4. जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर।

5. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।

6. प्रबन्धक, सेंट जेवियर्स स्कूल नेवढ़िया जौनपुर।

7. गार्ड फाइल हेतु।

डॉ०(प्रदीप कुमार) संयुक्त शिक्षा निदेशक 🖟 वाराणसी मण्डल वाराणसी